(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 03 / 08 / प्रशा0 / MSU / 2024–25 दिनांक: 17.08.2024

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / सचिव
समस्त सम्बद्ध शासकीय / अर्द्धशासकीय महाविद्यालय
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय,
सहारनपुर।

विषयः–वितीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2024–25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11–12 को छोड़कर) योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु समय–सारिणी के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ, के पत्र सं0–546 / 64–2–2024, दिनांकः 16.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वितीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2024–25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11–12 को छोड़कर) योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु समय–सारिणी निर्गत की गयी है।

उक्त के आलोक में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को पुनः सूचित किया जाता है कि संचालित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने की तिथि 15.07.2024 से 20.08.2024 तक निर्धारित है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप संलग्न–पत्र के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ0 राकेश चन्द्र)
नोडल ऑफिसर छात्रवृत्ति

प्रतिलिपि–अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. कुलपति कार्यालय, मा0 कुलपति जी को सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।
3. उपकुलसचिव माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर।

नोडल ऑफिसर छात्रवृत्ति

Scanned with OKEN Scanner

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website-msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 749 /08/प्रशा0/MSU/2024–25 दिनांकः 08.08.2024

सेवा में,

प्रांचार्य/प्राचार्या/सचिव
समस्त सम्बद्ध शासकीय/अर्द्धशासकीय महाविद्यालय
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय,
सहारनपुर।

विषयः–वितीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024–25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11–12 को छोड़कर) योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु समय–सारिणी के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ, के पत्रांक सं0–853/पि0व0क0/2024–25, दिनांकः 15.07.2024 के क्रम में, कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर के पत्रांकः सं0–सी0–322/पि0व0क0/दशमो0छात्र0/2024–25, दिनांकः 06.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वितीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024–25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11–12 को छोड़कर) योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु समय–सारिणी निर्गत की गयी है।

उक्त के आलोक में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि संचालित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने की तिथि 15.07.2024 से 20.08.2024 तक निर्धारित है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप <u>संलग्न पत्र</u> के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–यथोपरि

भवदीय,

(डॉ0 राकेश चन्द्रा)
नोडल ऑफिसर छात्रवृत्ति

प्रतिलिपि–अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. कुलपति कार्यालय, मा0 कुलपति जी को सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।
3. उपकुलसचिव, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर।

नोडल ऑफिसर छात्रवृत्ति

Scanned with OKEN Scanner

दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति
(कक्षा 11–12 को छोड़कर)
समय–सारिणी

निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश,
10वां तल,इंदिरा भवन,अशोक मार्ग,लखनऊ।

पत्रांकः 853/पि0व0क0/2024–25 लखनऊः दिनांक 15 जुलाई, 2024

समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
उ0प्र0।

विषयः वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024–25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11–12 को छोड़कर) योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु समय–सारिणी निर्गत किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय संयुक्त सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–2 के पत्र सं0 – आई /691524/2024/64–2010(099)/1 /2024 दिनांक 12 जुलाई, 2024 (छायाप्रति संलग्न) संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024–25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11–12 को छोड़कर) योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु समय–सारिणी निर्गत की गयी है।

अतः संयुक्त सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–2 के पत्र सं0–आई/691518 /2024/64–2010(099)/1/2024 दिनांक 12 जुलाई, 2024 की छायाप्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11–12 को छोड़कर) योजनान्तर्गत निर्गत समय–सारिणी के अनुसार कार्यवाही करें। उक्त समय–सारणी को जनपद के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करायें तथा उक्त समय–सारणी को संबंधित शिक्षण संस्थान/ विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी को अवश्य प्रेषित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

Signed by
Vandana Kundanlal Verma
(डा0 वन्दना वर्मा)
Date: 15-07-2024 12:25:19

पृष्ठांकन सं0– /पि0व0क0/2024–25/तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश, शासन के पत्र सं0 – आई /691524/2024/64–2010(099)/1 /2024 दिनांक 12 जुलाई, 2024 के कम में सूचनार्थ।
2–समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
3–निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4–निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5–समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(डा0 वन्दना वर्मा)
निदेशक

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-आई/69/524/2024/64-2010(099)/1/2024

प्रेषक,

संजय कुमार दुबे,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 12-07-2024

विषयः वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र **2024-25** में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर कक्षाओं में (कक्षा **11-12** को छोड़कर) अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-723/पि0व0क0/2024-25, दिनांक 03 जुलाई, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर कक्षाओं में (कक्षा 11-12 को छोड़कर) अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2 - उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा 11-12 को छोड़कर), (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के छात्र/छात्राओं हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय-सारिणी निर्गत की जा रही है :-

क्र0 सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
	मास्टर डाटा सत्यापित तथा लॉक करने की कार्यवाही	
1	शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करनाः- • प्रदेश में संचालित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन की कार्यवाही शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी के माध्यम से करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर से संस्थान हेतु पासवर्ड प्राप्त करना। (शैक्षणिक संस्थान स्तर) • मास्टर डाटा में पूर्व सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार अनुमोदित सीटों की संख्या, सक्षम स्तर पाठ्यक्रवार निर्धारित शुल्क, एफिलिएटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि अंकित/अपडेट कर नोडल अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित कर लॉक किया जाना। (शैक्षणिक संस्थान/एफिलिएटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय स्तर)	**15** जुलाई, **2024** से **20** अगस्त, **2024** तक।
2	विश्वविद्यालय/ एफिलिएटिंग एजेन्सी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा	**16** जुलाई, **2024**

	फीस आदि का सत्यापनः- • प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/ एफिलिएटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थान की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को आनलाइन पोर्टल पर अंकित एवं सत्यापित कर डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन लॉक किया जाना। **(शैक्षणिक संस्थान/एफिलिएटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय स्तर)**	से 30 अगस्त, 2024 तक।
3	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा मास्टर डाटा तथा फीस आदि का सत्यापनः- • प्रदेश के अन्दर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित एवं सत्यापित कर डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन लॉक किया जाना। किसी पाठ्यक्रम की निर्धारित शुल्क की भिन्नता की स्थिति में जिला छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति की बैठक में अनुमोदनोपरान्त मास्टर फीस पोर्टल पर लॉक की जायेगी। **(पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी स्तर)** **नोट- शिक्षण संस्थानों का मास्टर डाटा समस्त स्तर से सत्यापित एवं लॉक होने के उपरान्त ही संस्था आवेदन करने वाले छात्रों का आवेदन अग्रसारित कर सकेगी।**	16 जुलाई, 2024 से 15 सितम्बर, 2024 तक।
4	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन तथा भुगतान की प्रक्रियाः- • वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु छात्रों द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (11-12 को छोड़कर) आनलाइन आवेदन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर फाइनल सबमिट आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट निकाल कर समस्त अभिलेखों सहित उसकी हार्डकॉपी शिक्षण संस्था स्तर पर जमा कराया जाना। **(छात्र स्तर)**	20 जुलाई, 2024 से 20 नवम्बर, 2024 तक।
5	शिक्षण संस्थान स्तर से छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को सत्यापित एवं अग्रसारित किया जाना:- • संस्था में अध्ययनरत तथा छात्रवृत्ति पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों द्वारा आवेदन में अंकित समस्त तथ्यों का अभिलेखीय सत्यापन करते हुए, निर्धारित उपस्थिति मानक पूर्ण करने वाले पात्र छात्रों का आवेदन सत्यापित कर अग्रसारित किया जाना तथा अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त किया जाना। (शिक्षण संस्थान स्तर) • छात्र के आवेदन के उपरान्त राज्य एन0आई0सी0 द्वारा छात्र के आधार सीडेड बैंक खातों के विवरण को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड करते हुए बेनीफिशियरी का रिस्पोंस प्राप्त किया जाना। (राज्य एन0आई0सी0 स्तर)	15 सितम्बर, 2024 से 24 नवम्बर, 2024 तक।
6	विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा रिजल्ट अपलोड किया जाना।	25 नवम्बर, 2024 तक।
7	राज्य एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी किया जाना:-	25 नवम्बर, 2024

Scanned with OKEN Scanner

	• पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से सत्यापनोपरान्त प्राप्त छात्रवृत्ति आवेदन के डाटा को विभाग द्वारा प्रदान कराये गये बिन्दुओं के आधार पर परीक्षण करते हुए शुद्ध तथा संदेहास्पद डाटा को अलग किया जाना तथा शुद्ध डाटा को सत्यापन हेतु जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध कराया जाना। (राज्य एन0आई0सी0 स्तर)	से 05 दिसम्बर, 2024 तक।
8	संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्रों के स्तर पर सही कराते हुए पुनः संस्था स्तर से अग्रसारित किया जानाः- • संदेहास्पद आवेदनों में दृष्टिगत त्रुटियों को सुधारने हेतु छात्रों के लॉगिन में आवेदन को पुनः प्रदर्शित किया जाना तथा छात्रों द्वारा संदेहास्पद आवेदन की त्रुटियों को शुद्ध करते हुए पुनः शिक्षण संस्थान स्तर पर आवेदन की हार्डकॉपी तथा सम्बन्धित अभिलेख जमा करते हुए शिक्षण संस्थान स्तर से पुनः अग्रसारित कराया जाना। (राज्य एन0आई0सी0/छात्र स्तर/शिक्षण संस्थान स्तर)	06 दिसम्बर, 2024 से 12 दिसम्बर, 2024 तक।
	• शिक्षण संस्था स्तर से छात्रों द्वारा संशोधित किये गये आवेदनों में से पात्र छात्रों का आवेदन पुनः सत्यापित कर अग्रसारित किया जाना तथा अपात्र/त्रुटिपूर्ण आवेदनों को संस्था स्तर से ही निरस्त किया जाना। (शिक्षण संस्थान स्तर)	06 दिसम्बर, 2024 से 15 दिसम्बर, 2024 तक।
9	राज्य एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनीः- • छात्रों द्वारा संदेहास्पद डाटा में से संशोधित किये गये आवेदनों को राज्य एन0आई0सी0 द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण कर संदेहास्पद तथा शुद्ध डाटा के रूप में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध कराया जाना। (राज्य एन0आई0सी0 स्तर)	16 दिसम्बर, 2024 से 24 दिसम्बर, 2024 तक।
10	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति द्वारा सत्यापनोपरान्त डाटा लॉक कराया जानाः- • जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य एन0आई0सी0 द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये शुद्ध तथा संदेहास्पद डाटा का परीक्षण करते हुए जिला छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अनुमोदनोपरान्त पात्र छात्रों का आवेदन सत्यापित कर अग्रसारित किया जाना तथा अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त किया जाना। (जिला छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति स्तर)	06 दिसम्बर, 2024 से 10 जनवरी, 2025 तक।
11	राज्य एन0आई0सी0 स्तर से मांग सृजन किया जानाः- • जनपद स्तरीय समिति तथा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी स्तर से सत्यापित तथा लॉक डाटा के आधार पर राज्य एन0आई0सी0 द्वारा निदेशालय की लॉगिन/पोर्टल पर मांग उपलब्ध कराया जाना। (राज्य एन0आई0सी0 स्तर)	15 जनवरी, 2025 तक।
12	निदेशालय स्तर से धनराशि का अन्तरणः- • जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम	20 जनवरी, 2025 तक।

Scanned with OKEN Scanner

	से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/ एन0पी0सी0आई0 से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित किया जाना। (निदेशालय स्तर)	

3- नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय-सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ-साथ निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :-

1- शिक्षण संस्था में अध्ययनरत छात्र, अपने छात्रवृत्ति आवेदन का नवीनीकरण तभी करेंगे जब उनका वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर प्रणाली होने पर दोनों सेमेस्टर के परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त अगली कक्षा में नियमानुसार प्रवेश पूर्ण कर लिया हो तथा शिक्षण संस्था केवल उन्हीं आवेदनों को अग्रसारित कर सकेंगी, जिसमें छात्र तथा संस्था द्वारा अंकित प्राप्तांक/पूर्णांक में समानता होगी।

2- यदि निर्धारित समयान्तर्गत परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ है, तो छात्र रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर (परीक्षाफल घोषित नहीं) का विकल्प चुनते हुए आवेदन कर सकेंगे लेकिन ऐसे समस्त आवेदन शिक्षण संस्थान स्तर पर लंबित रहेंगे, उन्हें शिक्षण संस्था द्वारा अग्रसारित केवल उक्त परिस्थिति में जबकि सम्बन्धित पाठ्यक्रम का परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त छात्र द्वारा अपने वास्तविक प्राप्तांक एवं पूर्णांक का अंकन कर समस्त अभिलेख शिक्षण संस्था स्तर पर उपलब्ध करा देगा।

3- शिक्षण संस्थान का मास्टर डाटा समस्त स्तर से सत्यापित एवं लॉक होने के उपरान्त ही शिक्षण संस्थाएं अपने यहां अध्ययनरत तथा आवेदन करने वाले छात्रों का आवेदन आनलाइन अग्रसारित कर सकेंगे।

4- ऐसे छात्रवृत्ति आवेदन जो किसी भी त्रुटि के कारण (प्राप्तांक, पूर्णांक या अन्य तथ्य के त्रुटिपूर्ण अंकन के कारण) से शिक्षण संस्थान स्तर पर लंबित हैं, उन्हें छात्र द्वारा अपनी शिक्षण संस्था से रिसेट कराते हुए निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत आनलाइन आवेदन की त्रुटियों का निराकरण किया जा सकेगा।

5- निर्गत समय-सारिणी अनुसार निर्धारित किये गये दायित्वों तथा की जाने वाली कार्यवाही को समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र/शिक्षण संस्था/एफिलिएटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय का होगा।

5- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशों/छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के दशमोत्तर कक्षाओं में (कक्षा 11-12 को छोड़कर) अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by
(Sanjai Kumar Dubey
प्रमुख सचिव
Date: 12-07-2024 19:08:58

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner